



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234965
CG-DL-E-08042022-234965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603]
No. 1603]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1686(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH58 के कि.मी. 85 से कि.मी. 87 (तालुका सेवा सदन तीसरी मंजिल, खेरालु) तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप प्रभागीय न्यायाधीश, खेरालु, जिला-मेहसाणा (गुजरात) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH58 के कि.मी. 85 से कि.मी. 87 (तालुका सेवा सदन तीसरी मंजिल, खेरालु) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: महेसाणा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सतलासना					
गांव का नाम: धरोई					
1	145	निजी	एग्रिकल्चर	0.0063000 (हेक्टेयर)	0.0063000
2	148	निजी	एग्रिकल्चर	0.3968000 (हेक्टेयर)	0.3968000
3	149	निजी	एग्रिकल्चर	0.3814000 (हेक्टेयर)	0.3814000
4	158	सरकारी	कनेल्	0.2465000 (हेक्टेयर)	0.2465000
5	159	सरकारी	कनेल्	0.5636000 (हेक्टेयर)	0.5636000
6	160	सरकारी	गमताल	0.2429000 (हेक्टेयर)	0.2429000
7	161	सरकारी	गमताल	0.0244000 (हेक्टेयर)	0.0244000
8	17	निजी	एग्रिकल्चर	0.4268000 (हेक्टेयर)	0.4268000
9	18	निजी	एग्रिकल्चर	0.1882000 (हेक्टेयर)	0.1882000
10	19	निजी	एग्रिकल्चर	0.2250000 (हेक्टेयर)	0.2250000
11	20	निजी	एग्रिकल्चर	0.0108000 (हेक्टेयर)	0.0108000
12	201	सरकारी	कनेल्	0.0020000 (हेक्टेयर)	0.0020000
13	25	निजी	एग्रिकल्चर	0.1399000 (हेक्टेयर)	0.1399000
14	26	निजी	एग्रिकल्चर	0.0022000 (हेक्टेयर)	0.0022000
15	36	निजी	एग्रिकल्चर	0.0545000 (हेक्टेयर)	0.0545000

16	37	निजी	एग्रिकल्चर	0.1270000 (हेक्टेयर)	0.1270000
17	372	सरकारी	रोड	0.0467000 (हेक्टेयर)	0.0467000
18	38	निजी	एग्रिकल्चर	0.3179000 (हेक्टेयर)	0.3179000
19	50	सरकारी	कनेल्	0.3460000 (हेक्टेयर)	0.3460000
20	51	निजी	एग्रिकल्चर	0.4610000 (हेक्टेयर)	0.4610000
21	52	सरकारी	एग्रिकल्चर	0.2638000 (हेक्टेयर)	0.2638000
कुल				4.4737	4.4737

[फा. सं. GJ/P/V/09/2021/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1686(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for upgradation to 2 laning with paved shoulders of NH58 in the stretch of land from Km. 85 to Km. 87 in the district of MAHESANA in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate, Kheralu, District-Mehasana (Gujarat) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH58 in the stretch of land from Km. 85 to Km. 87 (Taluka Seva Sadan 3rd floor , Kheralu) in the district of MAHESANA in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: MAHESANA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Satlasana					
Village: Dharoi					
1	145	Private	Agriculture	0.0063000 (Hectare)	0.0063000
2	148	Private	Agriculture	0.3968000 (Hectare)	0.3968000
3	149	Private	Agriculture	0.3814000 (Hectare)	0.3814000
4	158	Government	canal	0.2465000 (Hectare)	0.2465000
5	159	Government	canal	0.5636000 (Hectare)	0.5636000
6	160	Government	Gamtal	0.2429000 (Hectare)	0.2429000
7	161	Government	Gamtal	0.0244000 (Hectare)	0.0244000
8	17	Private	Agriculture	0.4268000 (Hectare)	0.4268000
9	18	Private	Agriculture	0.1882000 (Hectare)	0.1882000
10	19	Private	Agriculture	0.2250000 (Hectare)	0.2250000
11	20	Private	Agriculture	0.0108000 (Hectare)	0.0108000
12	201	Government	canal	0.0020000 (Hectare)	0.0020000
13	25	Private	Agriculture	0.1399000 (Hectare)	0.1399000
14	26	Private	Agriculture	0.0022000 (Hectare)	0.0022000
15	36	Private	Agriculture	0.0545000 (Hectare)	0.0545000
16	37	Private	Agriculture	0.1270000 (Hectare)	0.1270000
17	372	Government	Road	0.0467000 (Hectare)	0.0467000
18	38	Private	Agriculture	0.3179000 (Hectare)	0.3179000
19	50	Government	canal	0.3460000 (Hectare)	0.3460000
20	51	Private	Agriculture	0.4610000 (Hectare)	0.4610000
21	52	Government	Agriculture	0.2638000 (Hectare)	0.2638000
Total				4.4737	4.4737

[F. No. GJ/P/V/09/2021/3A]

RAJESH GUPTA, Director